असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

05 मार्च, 2018

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको जोड़वा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी बैठे हुए हैं, मंहगाई का जमाना है । 2 करोड़ रूपया माननीय विधायक को मिलता था, 5 करोड़ रूपया माननीय सदस्यों को मिले ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 345 (श्री राज कुमार राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड के ग्राम सिरसिया और ग्राम मौजी स्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक-170 एवं 71 पर दर्ज है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिये जिलाधिकारी,पुलिस अधीक्ष्ज्ञक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कंडिका 634 में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है।

टर्न-11/सत्येन्द्र/5-3-18

तारांकित प्रश्न संख्या- 347(श्री विनोद प्रसाद यादव)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-348(श्री(मो0)तौसीफ आलम)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 349(श्री सीताराम यादव)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 350(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 351(श्री सैयद अबु दौजाना)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत पुपरी-सुरसंड एस0एच0 रोड मलंग स्थान मंदिर के निकटतम अवस्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । घेराबंदी नहीं होने से यदाकदा पशुओं के प्रवेश करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप

से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति भी है । इसके अतिरिक्ति मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शिका 14 में भी कब्रिस्तान के घेराबंदी की योजना को शामिल किया गया है।

श्री सैयद अबु दौजाना: महोदय, ये 100 साल पुराना मलंग स्थान मंदिर है और इस मंदिर की घेराबंदी नहीं हो रही है, जो जनकपुर मेन रोड पर है पुपरी और सुरसंड के बीच, इससे असामाजिक तत्व जो पूजा करने आते हैं उनको इतनी परेशानियां हो रही है और मंदिर बनाने की बात करती है एन0डी0ए0 की सरकार तो कम से कम सरकार ये एक मंदिर बनवा दें मलंग स्थान पर जो 100 साल पुराना मंदिर है जिसका घेराबंदी करवा दिया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: माननीय सदस्य कब्रिस्तान का प्रश्न कर रहे हैं और मंदिर का जिक्र कर रहे हैं ।

श्री सैयद अबु दौजाना:मलंग स्थान मंदिर है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: आपका प्रश्न क्या है ?

श्री सैयद अबु दौजाना: उसके नीचे एवं है, कब्रिस्तान एवं है, ये मंदिर है मलंग स्थान मंदिर है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, मैंने कलक्टर को कल शाम में निर्देशित किया है कि स्वयं जाकर देखें, चूंकि मंदिर और कब्रिस्तान अगल बगल में है इसलिए मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि स्वयं अबिलम्ब जाकर देख के एक विस्तृत प्रतिवेदन यहां भेजे, उसके आधार पर अग्रेत्तर आदेश दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 352(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड अन्तर्गत नवीनगर बार्ड संख्या-5 जनकपुर, बार्ड नं0-4 अन्तर्गत आता है । जनकपुर में निजी जमीन पर कब्रिस्तान है जिसका घेराबंदी किया हुआ है । बार्ड संख्या-2 मौजा परसिया टोला, रमजान बिगहा, थाना नं0-110, खाता संख्या-13, प्लौट संख्या-226, रकबा 2.68 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बकास मालिक के नाम से दर्ज है । इसी प्लौट में 0.65 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के उपयोग में आता है । उक्त भूमि में अतिक्रमण नहीं है । राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर ही अवस्थित विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशीलता के आधार पर कब्रिस्तान के घेराबंदी की योजना है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 353(डॉ0 रामानुज प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अन्तर्गत दिघवारा नगर पंचायत के बार्ड सं0-18 में स्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में नहीं है । दिघवारा प्रखंड अन्तर्गत मानपुर पंचायत के